न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

दायर दिनांक 27.06.2024

प्रकरण संख्या/65/2024 वाद

उनवान

1. प्रभु लाल पिता उदा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

1. घीसीबाई पत्नी शंकरलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. दिनेश पिता शंकरलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. रतनलाल पिता प्रभु लाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
4. सुमित्रा पुत्री शंकर लाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन हाल डिण्डोली तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।
5. सुरेश पिता शंकरलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
6. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना —वादी
एकतरफा —प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 17.09.2025

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा पाण्डोली के हल्के बैरुनी में आराजी नम्बर 1700, 1701, 1706, 1790 कुल किता 04 कुल क्षेत्रफल 1.81 हैक्ट0 स्थित है जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है और प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है और हिस्से अनुसार काबिज है।

यह कि प्रतिवादीगण को दिनांक 15.06.2024 को आराजी का बटवाडा कराने के लिए कहा तो इन्कार हो गये जिससे वाद कारण 15.06.2024 से एवं तत्पश्चात् निरन्तर जारी है। साथ ही निवेदन किया कि मौजा पाण्डोली की आराजी नम्बर 1700, 1701, 1706, 1790 का हिस्सा व कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें। हर्जा खर्चा वकील मेहन्ताना दिलाया जावें। अन्य दाद मुफिद वादी दिलायी जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम वैष्णव का अधिकार पत्र पूर्व में प्रस्तुत व प्रतिवादी संख्या 1, 4 की ओर से अण्डरटेकिंग प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रस्तुत। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 आज हाजिर नहीं। हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादी का भी खाता अलग से कायम किया जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

निवासी पाण्डोली का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। क्ष्यवादी में वादी प्रभु लाल पिता उदा जाति कुम्हार निवासी पाण्डोली का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। थग्राहिता वादी ने वाद पत्र के समर्थन एवं पुष्टि में जमाबन्दी की फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 04.09.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 28.08.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.09.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा पाण्डोली के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 1700, 1701, 1706, 1790 कुल किता 04 कुल क्षेत्रफल 1.81 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 28.08.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. प्रभुलाल पुत्र उदा जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	1701/1	0.12
2	1706/1	0.39
3	1790/1	0.07
योग	कुल किता–03	0.58

2. रतनलाल पुत्र प्रभुलाल जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	1701/3	0.51
2	1790/2	0.07
योग	कुल किता–02	0.58

3. सुरेश हिस्सा 1/4, दिनेश हिस्सा 1/4, सुमित्रा हिस्सा 1/4 पिता शंकरलाल, घीसीबाई पत्नी शंकरलाल हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	1701/2	0.10
2	1706/2	0.41
3	1790/3	0.07
योग	कुल किता–03	0.58

4. रतनलाल पुत्र प्रभुलाल हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार, प्रभुलाल पुत्र उदा हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार, सुरेश हिस्सा 1/12, दिनेश हिस्सा 1/12, सुमित्रा हिस्सा 1/12 पिता शंकरलाल, घीसीबाई पत्नी शंकरलाल हिस्सा 1/12 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	1700	0.07
योग	कुल किता–01	0.07

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजे[illegible])
सह(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी कपासन